

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-164 / 2019 / दिनांक:—

अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज,
बाडमेर ।

विषय:— श्रीमती संगीता, नर्स-2 परिवीक्षाधीन का अवकाश स्वीकृत करने बाबत ।
सन्दर्भ:— आपका पत्रांक 6843 दिनांक 31.10.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती संगीता, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि कार्मिका ने जीए-45 में चिकित्सा अवकाश अंकित किया है जब कि परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश ही देय है ।

अतः कार्मिका से संशोधित जीए-45 प्राप्त कर भिजवानें का श्रम करें , ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-164 / 2019 / 600

दिनांक:— 23/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे ।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर